

Important Notice

1. In case of **Failed Transaction** please first check, whether the amount has been **debited** from your account or not.
2. The system has been designed in such a way that there is no case that if the amount is not debited at once, that it may get debited in the future.
3. **In that Case your are advised :**
 - i) If the money has not been debited from your account, then you may attempt a new transaction immediately by pressing the **“Reactivate Transaction”** Button which is visible on left side of your screen.
 - ii) In case your account has been debited then it is likely that Tax Token may be issued within the next **48 hours**. Please intimate the Helpdesk and wait for this period. The Helpdesk will also then follow up from the side of the Department.
4. The system has been adjusted in such a way that your Tax Token will be issued with effect from the date, that your account has been debited for the Transaction.

आवश्यक सूचना

1. Failed Transaction की स्थिति में सर्वप्रथम कृपया यह जाँच लें कि आपके बैंक खाते से रकम की कटौती की गयी है या नहीं।
2. उक्त व्यवस्था को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर एक बार आपके खाता से रकम की कटौती नहीं हुई, तब भविष्य में इसकी कटौती कदापि नहीं होगी।
3. इस स्थिति में आपको सलाह है –
 - i) अगर आपके बैंक खाते से रकम की कटौती नहीं की गयी है तब आप नये Transaction की शुरुआत "Reactivate Transaction" बटन जो आपके स्क्रीन के बायीं ओर प्रदर्शित है को क्लिक कर तुरंत प्रारंभ कर सकते हैं।
 - ii) अगर आपके बैंक खाते से रकम की कटौती हो चुकी है तब यथासंभव आपको **48 घंटे** के अंदर कर प्रतीक (टैक्स टोकन) निर्गत कर दिया जायेगा। कृपया इसकी सूचना हेल्पडेस्क को दें तथा उक्त अवधि तक इंतजार करें। इस संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई विभाग की ओर से हेल्प डेस्क करेगी।
4. इस व्यवस्था को इस तरह से बनाया गया है कि आपका कर प्रतीक (टैक्स टोकन) उस तिथि को निर्गत की जायेगी, जिस तिथि को आपके बैंक खाते से रकम की कटौती की गयी है।